

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6108

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अबास पुत्र चान्दणा 2
अलाबक्स पुत्र मोहम्मद 3
इबाहिम 4 ईशाक पिसरान भित्तू
5 खेरदीन 6 जुसब पिसरान
चान्दणा 7 भला पुत्र साहली 8
मोहत पत्नि मोहम्मद 9 रेशमो
पत्नि साहिली 10 शकुल पुत्र
साहली 11 सुमार पुत्र लागोदर
12 हऊवा पत्नि चान्दना 14
हऊवा पत्नि हासम 15 हुसैन
पुत्र लागोदर जाति मुसलमान
निवासी झाडवा पटवार हल्का
चूली, तहसील व जिला बाड़मेर।


1 फोजा पुत्र दोदा 2 अमीन खां 3 मोहिता 4 रहमान 5
बरकत 6 मुकीम खां पिसरान दिलबर 7 ईमान 8 गाजी
9 नेहाल 10 निहाली 11 बचल 12 बसाया पिसरान
मुधीन 13 अनरा खान पुत्र हुसीन 14 सिलेमा पत्नी
हुसीन 15 हनिफा पुत्री हुसीन 16 असियत पुत्री हुसीन
17 बिष्ठा पुत्री हुसीन 18 लाच्छा पुत्री हुसीन 19 समसु
पुत्र हुसीन 20 समी पुत्री हुसीन 21 सिदीक खां पुत्र
हुसीन 22 इशाक 23 धोधा पिसरान लतीफ जाति
मुसलमान निवासी झाडवा पटवार हल्का चूली तहसील व
जिला बाड़मेर 24 छैल कंवर पत्नी रतनसिंह जाति
राजपूत निवासी लुणु खुर्द जिला बाड़मेर 25 तहसीलदार
बाड़मेर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 43/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा झाडवा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 21 रकबा 14.9814 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरगा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6109 - 6112

दिनांक- 17.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अबास पुत्र चान्दणा वगैराह जाति मुसलमान निवासी झाडवा पटवार हल्का चूली बिशाला
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण फोजा पुत्र दोदा वगैराह जाति मुसलमान निवासी झाडवा पटवार हल्का चूली, तहसील
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर